विविध **बैंक प्रकरण संख्या 24/2022(GCMS : 2022/37) आवास फाईनेन्र्स लि. (Formely known as AU Housing Finance Ltd.)** पंजीकृत कार्यलय – 201-202, Second Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur **बनाम 1. राजकुमार पुत्र गुरदिताराम** निवासी नजदीक पुराना राधास्वामी सत्संग भवन, वार्ड नं 9/2, वाटर वर्क्स रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **2. शकुन्तला देवी** पत्नी राजकुमार निवासी नजदीक पुराना राधास्वामी सत्संग भवन, वार्ड ने. 9/2, वाटर वर्क्स रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **3. अनुज पुत्र राजकुमार** निवासी नजदीक पुराना राधास्वामी सत्संग भवन, वार्ड नं. 9/2, वाटर वर्क्स रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **4. विंकल पुत्र राजकुमार** निवासी नजदीक पुराना राधास्वामी सत्संग भवन, वार्ड नं 9/2 वाटर वर्क्स रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **5. रजनी पत्नी विंकल** निवासी वार्ड नं 13, नजदीक लखारों का मदरसा, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री मनीष भारद्वाज, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लि. ने अप्रार्थीगण राजकुमार, शकुन्तला देवी, अनुज, विंकल एवं रजनी द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी राजकुमार एवं शकुन्तला देवी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड स्थित वार्ड नं 2(क्षेत्रफल 1188 वर्गफुट), नजदीक वाटर वर्क्स, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 09.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण राजकुमार, शकुन्तला देवी, अनुज, विंकल एवं रजनी के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजकुमार एवं शकुन्तला देवी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड स्थित वार्ड नं 2(क्षेत्रफल 1188 वर्गफुट), नजदीक वाटर वर्क्स, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में शामिल किया गया । इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:47 IST
Reason: SelfAttested